जितेंद्र चौहान, न्यायमूर्ति.

नफे सिंह -अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2001 का सीआरए नंबर 293 एसबी

सितम्बर 6, 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - धारा 20, 42, 50, 55 और 57 - अपीलकर्ता पर 1 kg रखने

*का प्रयास किया गया। 500 ग्राम चरस- सजायाफ्ता- अपील दायर- जांच के दौरान जानकारी लिखित रूप में कम नहीं हुई - स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया - मुहरों को स्वतंत्र गवाह को नहीं सौंपा गया - अपील की अनुमति - धारित, लिखित में कम नहीं की गई जानकारी * धारा 42 (2) का उल्लंघन - पुलिस अधिकारियों के पास सील बनी रही - छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता - राजपत्रित अधिकारी को मौके पर नहीं बुलाया गया - अपीलकर्ता को डीएसपी के पास ले जाया गया - वसूली संदिग्ध - अपीलकर्ता बरी हो गया।*

आयोजित किया कि सहायक उप निरीक्षक फूल कुमार पीडब्लू 6, अन्वेषक ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अधिनियम की धारा 42 (2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुप्त जानकारी को लिखित रूप में कम कर दिया गया था और निर्धारित अवधि के भीतर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया था। एएसआई फूल कुमार पीडब्लू 6 ने अपनी जिरह में गवाही दी है कि, "मुझे लगभग 4/4.15 बजे गुप्त सूचना मिली। आगे यह भी कहा गया है कि "मैंने रिपोर्ट नहीं भेजी। एससीक्शन 57 से एसआई आईओ। गुप्त सूचना आरोपी के नाम के बारे में नहीं थी। इस प्रकार, पूर्वोक्त धारा के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

(पैरा 1-6)

आगे आयोजित किया गया कि 'एएस' की छाप वाली मुहर स्वयं डीएसपी द्वारा रखी गई थी और सील * 'पीके' 'एचसी सूबे सिंह को सौंप दी गई थी। यह माना जाता है कि दोनों मुहरें पुलिस अधिकारियों के पास रहीं। इस गवाह को उपयोग के बाद मुहर का न सौंपना भी संदेह के आयाम पैदा करता है। अत एफएसएल को नमूने को पे्रषित करने से पूर्व नमूने की विषय-वस्तु अथवा बैग के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। गज सिंह को मुहरें नहीं सौंपी गईं। इन परिस्थितियों को जब एक साथ लिया जाता है, तो सील के साथ छेड़छाड़ होने, पदार्थ बदलने और कंटेनरों को पुन स्केल किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 1-7)

आगे आयोजित किया गया कि अपीलकर्ता से चरस की वसूली एक अन्य कारण से अत्यधिक संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता को गुप्त सूचना के आधार पर स्कूल के सामने गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ता ने

राजपत्रित अधिकारी, एएसआई फूल कुमार पीडब्लू 6 के समक्ष तलाशी लेने का विकल्प चुना, जांच अधिकारी अपीलकर्ता को केस प्रॉपर्टी के साथ पुलिस स्टेशन राजौरी ले गए और डीएसपी के समक्ष पेश किया। तलाशी और अन्य औपचारिकताओं के बाद, अपीलकर्ता को केस प्रॉपर्टी के साथ फिर से एसएचओ को सूचित किए बिना मौके पर ले जाया गया, जो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, अन्वेषक को जानकारी देनी चाहिए थी संबंधित एसएचओ और मौके पर राजपत्रित अधिकारी को भेजने के लिए ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने अपीलकर्ता, पीडब्लू और केस प्रॉपर्टी को डीएसपी के समक्ष पेश करने के लिए लिया। इसलिए आरोपियों से चरस की बरामदगी बेहद संदिग्ध है।

(पैरा 1- 8)

बीएस विर्क, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

रुद्रनील भारद्वाज, सहायक महावक्ता, हरियाणा

जितेन्द्र चौहान, न्यायमूर्ति

(एक) वर्तमान अपील न्यायाधीश, विशेष न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.1.2001 के निर्णय/सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। कैथल के मामले में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था और दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 10000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। 1,00,000/ -; जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर, उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 20 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

(दो) आक्षेपित निर्णय के पैरा संख्या 2 से 4 में वर्णित मामले के अधिनिर्णय के लिए आवश्यक तथ्य निम्नानुसार हैं: -

> बयान में कहा गया है, '4.12.1999 को गश्त ड्यूटी और अपराध का पता लगाने के संबंध में थाना राजोंद अलनोग, हेड कांस्टेबल सूबे सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों के सहायक उप निरीक्षक फूल कुमार बस स्टैंड किछना कुई (कुएं) पर मौजूद थे। आरोपी के खिलाफ राज से पता चला कि वह स्कूल के सामने खड़ा है और चरस धारण कर रहा है। पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में किछना निवासी मोलू राम पुत्र गज सिंह शामिल हो गया। उन्होंने आरोपी को खुलासा स्थान पर मौजूद पाया, जिसे पकड़ लिया गया। चूंकि उसके पास से कोई नशीला पदार्थ होने का संदेह था, इसलिए उससे पूछा गया। (ख) यदि हां, तो राजपत्रित ओ फिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष या उसके समक्ष उसकी तलाशी के लिए। 'आरोपी ने उसी ज्ञापन के अनुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी

लेने की सहमति दी। उन्हें पता चला कि पुलिस उपाधीक्षक आमिर सिंह थाना राजोंद में मौजूद हैं।

तीन. आरोपी, गवाहों और केस प्रॉपर्टी को पुलिस स्टेशन राजोंद ले जाया गया और कैथल के पुलिस उपाधीक्षक आमिर सिंह के समक्ष पेश किया गया, जो प्रांगण में मौजूद थे

पुलिस स्टेशन का। मैंने तथ्यों की जांच की और उसके निर्देशन में आरोपी की तलाशी ली गई। एक कोठाली (कपड़े का टुकड़ा) आरोपी की कमर के चारों ओर बंधा हुआ था जिसमें ओहरा थे। थोक में से 100 ग्राम को नमूने के रूप में अलग किया गया था और वजन पर अवशेष 1 किलोग्राम 400 ग्राम पाया गया था। सैंपल और अवशेषों को सहायक सब इंस्पेक्टर फूल कुमार और पुलिस उपाधीक्षक आमिर सिंह की *पीके* की सील का उपयोग करके अलग-अलग सीलबंद पार्सल में बनाया गया था। नमूना सील छापों को भी तैयार किया गया था। सीलबंद पार्सल को कब्जे में ले लिया गया। पूर्व पुलिस अधीक्षक RuqaEx.PE को पुलिस स्टेशन भेजा गया, जहां औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट Ex.PE/1 दर्ज की गई।

चार. जांच के दौरान आरोपी और आसानी से संपत्ति के साथ पुलिस पार्टी उस स्थान पर लौट आई जहां आरोपी को पकड़ा गया था, सही सीमांत नोटों के साथ साइट प्लान Ex.PF तैयार किया गया था, गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सपीडी। पुलिस स्टेशन लौटने पर, आरोपी ने संपत्ति को आसान बनाया, सील किए गए पार्सल और thcwitncsscs ने सब इंस्पेक्टर सुमेर चंद, स्टेशन I लाउज ऑफिस ऑफ पुलिस स्टेशन राजोंद के समक्ष पेश किया, जिन्होंने सत्यापन के बाद पार्सल को अपनी मुहर 'एससी' के साथ फिर से स्केल किया। उनके निर्देशन में मालखाने में सुगमता संपत्ति जमा कराई गई और आरोपी को हवालात में भेज दिया गया। अधिनियम की धारा 57 के तहत एक रिपोर्ट तैयार की गई और उच्च अधिकारी को भेजी गई। नमूने को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक साइंस 1 प्रयोगशाला, मधुबन भेजा गया था। जब आवश्यक जांच पूरी हो गई, तो आसानी से आरोपियों के मुकदमे

के लिए भेज दिया गया।

(तीन) आरोपी पर अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उसने दोषी नहीं माना और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।

(चार) आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कांस्टेबल राम किशन पीडब्लू 1 से पूछताछ की है। जिन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कैथल को विशेष रिपोर्ट भेजी। कांस्टेबल सिंह राम पीडब्लू 2, जिन्होंने 1 को नमूने दिए; एफएसएल मधुबन, एमएचसी राम फल पीडब्लू 3. जिनके पास ईज प्रॉपर्टी जमा कराई गई थी। एसआई सुमेर चंद PW4. पीएस राजौंद के तत्कालीन एसएचओ। जिन्होंने मामले का सही तरीके से सत्यापन किया। मैं आईसी सब सिंह PW5. ओएफएलएचसी पुलिस टीम के सदस्य। एएसआई फूल कुमार PW6. जांच अधिकारी। डीएसपी अमीर सिंह PW7 जिनकी मौजूदगी में तलाशी ली गई और दस्तावेज सौंपकर एफएसएल की रिपोर्ट ईएक्सएस PA, एक्सपीबी सहमति मेमो, एक्सपीसी रिकवरी मेमो, गिरफ्तारी का एक्स.पीडी मेमो, Ex.PE रुक्का, पीई/1 एफआईआर की प्रति, पूर्व पीएफ साइट प्लान, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के तहत Ex.PG रिपोर्ट, एक्सपी -1 केस प्रॉपर्टी, एमएचसी राम फाल की धारा 161 सीआरपीसी के तहत एक्स.डीए स्टेटमेंट, एसआई सुमेर चंद की धारा 161 सीआरपीसी के तहत एक्स.DB स्टेटमेंट की कॉपी, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान की पूर्व डीसी प्रति आईआईसी सूबे सिंह, पूर्व डीडी सीआरपीसी डीएसपी आमिर सिंह के बयान की प्रति।

(पाँच) जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच की गई, तो आरोपी-अपीलकर्ता ने उसके खिलाफ अभियोजन साक्ष्य में दिखाई देने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और झूठे आरोप लगाए। बचाव में,

उन्होंने गेज़ सिंह को ओडब्ल्यूई के रूप में जांच की

(छः) विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष, बचाव पक्ष के वकील द्वारा उठाए गए मुख्य तर्क यह थे कि अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था; लिंक साक्ष्य गायब था और एकमात्र सार्वजनिक गवाह, गजे सिंह की जांच नहीं की गई थी।

(सात) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा उठाए गए सभी तर्कों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं था; मुहरों को बरकरार रखा गया था और नमूना मुहरों के साथ मिलान किया गया था, इसलिए, लिंक साक्ष्य स्थापित किया गया है और गजे सिंह, स्वतंत्र गवाह, उसी गांव का निवासी होने के नाते, अभियुक्तों द्वारा जीता गया था।

(आठ) पूरे सबूतों का विश्लेषण करने और पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, विद्वान त्रिकोणीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि शुरू में देखा गया था।

(नौ) निर्णय और आदेश से व्यथित अभियुक्त ने इस अपील को प्राथमिकता दी, जिसे 28.5.2011 को स्वीकार किया गया। दिनांक 7.8.2003 के आदेश के तहत, अपीलकर्ता की सजा निलंबित कर दी गई थी।

(दस) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, गुप्त जानकारी के अनुसरण में वसूली की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की पूरी तरह से निराशा के लिए, अन्वेषक इस तरह की जानकारी को लिखित रूप में कम करने और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित करने के बारे में बिल्कुल चुप है और इस प्रकार, यह आवश्यक रूप से

इस प्रकार है कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। मैंने करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। [1]

[1] 2009 (5) आरसीआर (सी आरएल) 515 (एससी)

(ग्यारह) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने एक स्वतंत्र गवाह गाजे सिंह के बजाय सुब्ब सिंह एचसी को उपयोग के बाद मुहर सौंपने का कोई कारण नहीं बताया है। 11ग आगे प्रस्तुत करता है कि सुब्ब सिंह एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, नमूना की सामग्री के साथ टर्न पेन के लिए रासायनिक परीक्षक को नमूना भेजने से पहले किसी भी समय उससे सील वापस ली जा सकती है और इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि नमूने की सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

(बारह) आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह गाजे सिंह ने स्पष्ट शब्दों में यह कहते हुए अभियोजन पक्ष को ध्वस्त कर दिया कि अभियुक्त के कब्जे से कोई वसूली नहीं हुई थी। गेज सिंह, जिसकी उपस्थिति में वसूली कथित रूप से की गई थी, को आरोपी द्वारा जीत हासिल करने के बहाने छोड़ दिया गया है। जब आरोपी ने उससे पूछताछ की तो उसने उसकी मौजूदगी में कथित बरामदगी से इनकार किया। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उपयोग के बाद मुहरों को स्वतंत्र गवाहों को नहीं सौंपा गया था। 11c आगे प्रस्तुत करता है कि PWs के बयानों में कोई विरोधाभास है और इसलिए, यह अपीलकर्ता से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बारे में संदेह पैदा करता है।

(तेरह) इसके विपरीत, श्री भारद्वाज ने तर्क दिया है कि यदि अन्वेषक लिखित रूप में जानकारी को कम करने और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने में लिप्त होता, तो इस बीच, आवेदक वैक्यूस्कड बच सकता था। 1 अर्थात आगे प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पूरी तरह से साबित हो गया है और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को सही दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है।

(चौदह) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

(पंद्रह) सहायक उप निरीक्षक फूल कुमार PW6. अन्वेषक ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अधिनियम की धारा 42(2) के उपबंधों के अनुपालन में गुप्त सूचना को लिखित रूप में संक्षिप्त कर दिया गया था और निर्धारित अवधि के भीतर उसे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था। फूल कुमार पीडब्लू 6 ने अपनी जिरह में गवाही दी है कि "मुझे लगभग 4/4.15 बजे गुप्त सूचना मिली। मैंने लिखित रूप में गठन में रहस्य दर्ज नहीं किया। आगे यह भी कहा गया है कि "मैंने धारा 57 के तहत एसएचओ को रिपोर्ट नहीं भेजी। गुप्त सूचना आरोपी के नाम के बारे में नहीं थी। इस प्रकार, पूर्वोक्त धारा के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

(16) सील असर छाप 'एएस' खुद डीएसपी द्वारा रखा गया था और सील 'पीके' 'एचसी सुब्ब सिंह को सौंप दिया गया था। यह माना जाता है कि दोनों मुहरें पुलिस अधिकारियों के पास रहीं। इस गवाह को उपयोग के बाद मुहर न सौंपना भी संदेह के आयाम पैदा करता है। इसलिए एफएसएल को नमूने भेजने से पहले नमूने की सामग्री या बैग के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस रुख को पुष्ट करने के लिए, वीसी में की गई टिप्पणियों पर प्रचुर निर्भरता: पंजाब राज्य बनाम नछत्तर सिंह @ बीनिया [2], मुहर को स्वतंत्र गवाह के बजाय उपयोग के बाद एक पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया था, जो मौके पर मौजूद था। 'इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि इस प्रकार जहां उपयोग के बाद सील पुलिस के पास रही, यह नमूने के साथ छेड़छाड़ करने के न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है। इस तथ्य का कोई लाभ नहीं है कि जैसा कि अभियोजन

[2] (2) 2007(3) आरसीआर (सीआरएल) 1040

पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, एक स्वतंत्र गवाह गाजे सिंह कथित बरामदगी के समय उपस्थित थे। फिर भी सैंपल सील का जिम्मा पुलिस अधिकारी एचसी सुब्ब सिंह को सौंपा गया। जांचकर्ता ने आधिकारिक गवाह को अधिमानतः मुहर देने के लिए नाम के लायक कोई कारण नहीं बताया है। जांचकर्ता की जिरह में ही गाजे सिंह जांच पूरी होने तक मौके पर ही रहा। सील गाजे सिंह को नहीं सौंपी गई थी, जब एक साथ लिया जाता है, तो परिस्थितियों में, स्कैल के साथ छेड़छाड़ की संभावना, पदार्थ को बदल दिया जाता है और कंटेनरों को फिर से स्केल किया जा रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

(सत्रह) डीडब्ल्यू 1 गाजे सिंह, जो एक स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल हुए थे, ने गवाही दी है कि "मेरे सामने पुलिस द्वारा आरोपी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और मेरी उपस्थिति में आरोपी से पुलिस द्वारा कोई वसूली नहीं की गई थी। पुलिस द्वारा मेरे हस्ताक्षर तीन चार खाली कागजों पर प्राप्त किए गए थे जब एक सदस्य पंचायत के साथ बेंच की आपूर्ति के सिलसिले में पुलिस स्टेशन राजौरी गया था।

(2) 2007(3) आरसीआर (सीआरएल) 1040

(अठ्ठारह) अपीलकर्ता से चरस की बरामदगी एक अन्य कारण से अत्यधिक संदिग्ध है। अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता को गुप्त सूचना के आधार पर स्कूल के सामने पकड़ा गया था। अपीलकर्ता ने राजपत्रित अधिकारी, एएसआई फूल कुमार पीडब्लू 6 के समक्ष तलाशी लेने का विकल्प चुना। जांच अधिकारी अपीलार्थी को आसानी से संपत्ति के साथ पुलिस स्टेशन राजौरी ले गए और डीएसपी के समक्ष पेश किया। तलाशी और अन्य औपचारिकताओं के बाद, अपीलकर्ता को केस प्रॉपर्टी के साथ फिर से एसएचओ को सूचित किए बिना मौके पर ले जाया गया, जो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, अन्वेषक को

संबंधित एसआई आईओ को सूचित करना चाहिए था और मौके पर राजपत्रित अधिकारी को भेजना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। । इसलिए आरोपियों से चरस की बरामदगी बेहद संदिग्ध है।

(उन्नीस) पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान अपील की अनुमति है; आक्षेपित निर्णय/सजा के आदेश को रद्द करना। 'हाय आरोपी- अपीलकर्ता को आरोपित अपराध से बरी किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा